इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2013—माघ 5, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2013

अधिसूचना क्र. भसंकमं-2013-165.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भसंकमं.-1675, दिनांक 10 अक्टूबर 2012 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना 2012 का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" के भाग-4(ग), दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, जिनके

पृष्ठ क्रमांक 794, 795 एवं 796 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त प्रावधानों में,—

1. कंडिका "क" के अनुक्रमांक (4) में परिचय पत्रधारी के 18 से 45 वर्ष की आयु के परिवार के आश्रित सदस्य हैं के स्थान पर शब्द "**परिचय पत्रधारी के 16 से 45 वर्ष की आयु के परिवार के आश्रित सदस्य**" स्थापित किया जाए.

2. कंडिका "ख" के अनुक्रमांक (6)(2) में अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष हो के स्थान पर शब्द "**अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री जिनकी आयु 16 से 45 वर्ष हो**" स्थापित किया जाए.

3. कंडिका "ङ" के अनुक्रमांक (4)(ग) में व्यवसाय "Placement" के स्थान पर **व्यवसाय/स्वरोजगार "Placement/ Self Employment"** स्थापित किया जाए.

4. कंडिका "ङ" (6) में "आवासीय भत्ता" के स्थान पर "**आवासीय/परिवहन भत्ता**" स्थापित किया जाए.

5. कंडिका "ङ" (6) के अनुक्रमांक (2) के तालिका क्रमांक (4) में "270 घण्टे" के स्थान पर शब्द "**270 घण्टे से अधिक किन्तु 3 माह से कम**" स्थापित किया जाए.

6. कंडिका "ङ" (6) के बाद 6(अ) निम्नानुसार स्थापित किया जाए.

   6(अ)—योजना के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षण जो तीन माह 540 घण्टे या उससे अधिक के हों, के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ते का भुगतान किया जायेगा.

अजय नेमा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.